न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 149 / 2017

वादी

1. हेमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी महादेव नगर, (मूढों की ढाणी) तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 पोकरराम पुत्र चेतनराम 2 पूरो पत्नी चेतनराम 3 भीमाराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी महादेव नगर (मूढों की ढाणी) तहसील व जिला बाडमेर 4 शखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कवास बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री डालूराम गोदारा, वकील वादी पक्ष।

निर्णय

दिनांक 12/01/21

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 149 / 2017 अनवान हेमाराम बनाम पोकरराम वगैराह में दिनांक 15.01.2019 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकरी जारी कर तहसीलदार बाडमेर को वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाने हेतु कमीश्नर नियुक्त किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय बाडमेर में प्रतिवादीगण की और से अपील प्रस्तुत की गई, जो 31 / 2019 पर दर्ज की गई तथा उक्त अपील दिनांक 03.09.2019 को जरिये विड्रो खारिज की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक भू.अ. / 2019 / 231 दिनांक 24.01.2019 द्वारा विभाजन प्रस्ताव उपलब्ध करवाया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया।

अतः तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा महादेव नगर पटवार हल्का मुढो की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा नम्बर 361 / 274 रकबा 75.06 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	पोकरराम पुत्र चेतन, पूरो पत्नी चेतन 1004 / 1106 भीमाराम पुत्र चेतन 102 / 1106 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	361 / 274	55.06	बा.दो.	03.32	हरा
2	हेमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट सा. पुरोहितों की बस्ती खातेदार	361 / 274	[illegible]	बा.दो.	01.20	लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:05:13 IST
Reason: Self Attested

तहसीलदार बाड़मेर तदनुसार [illegible] करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव [illegible] निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। अन्तिम डिकरी जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(रोहित चौहान)
सहायक कलक्टर
(एसडीओ) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 12/01/21 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हेमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट निवासी महादेव नगर, (मूढों की ढाणी) तहसील व जिला बाडमेर।		1 पोकरराम पुत्र चेतनराम 2 पूरो पत्नी चेतनराम 3 भीमाराम पुत्र चेतनराम जाति कुम्हार निवासी महादेव नगर (मूढों की ढाणी) तहसील व जिला बाडमेर 4 शखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कवास बाडमेर 5 तहसीलदार बाडमेर।

दावा बाबत् 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 149/2017

निर्णय दिनांक :– ...12.01.21.......

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या ....–.......... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...12.01.21.... को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा महादेव नगर पटवार हल्का मुढों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर में स्थित खसरा नम्बर 361/274 रकबा 75.06 बीघा भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म	लगान	बरंग
1	पोकरराम पुत्र चेतन, पूरो पत्नी चेतन 1004/1106 भीमाराम पुत्र चेतन 102/1106 जाति कुम्हार सा. देह खातेदार	361/274	55.06	बा.दो.	03.32	हरा
2	हेमाराम पुत्र धर्माराम जाति जाट सा. पुरोहितों की बस्ती खातेदार	361/274	20.00	बा.दो.	01.20	लाल

तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख ...12.01.21.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(रोहित चौहान)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohit Chauhan
Date: 2021.03.01 12:05:13 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेषिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेश्किा की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	